न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री दौलतराम चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र स0 01/2021

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. अब्दुल आसान उर्फ अहसान पुत्र अब्बास,		1. मौहम्मद शरीफ पुत्र अब्दुल आसान उर्फ अहसान
2 मजिदन बानौ पत्नि अब्दुल आसान उर्फ अहसान, जातिगण मुसलमान, नि0 जैतारणीया दरवाजा जमालकुआ के पास, सोजतसिटी, तह0 सोजत, जिला–पाली, राज0।		2. रसीदा बानौ पत्नि मौहम्मद शरीफ, 3 रमजान पुत्र अब्दुल आसान उर्फ अहसान 4 अमीशा बानौ पत्नि रमजान जातिगण मुसलमान नि0 जैतारणीया दरवाजा, जमालकुआ के पास, सोजतसिटी, तह0 सोजत, जिला पाली।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थित :–

01. प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित
02. अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक : 23/03/2021

प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत पेश किया कि प्रार्थीगण सोजतसिटी के निवासीगण तथा प्रार्थीगण उम्रदराज वृद्ध दम्पति है। जिसकी वर्तमान आयु आधार कार्ड के अनुसार 67 एवं 62 वर्ष है, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आते है। तथा अप्रार्थी संख्या एक जायन्दा पुत्र, अप्रार्थी संख्या दो पुत्रवधु, अप्रार्थी संख्या तीन जायन्दा पुत्र एवं अप्रार्थी संख्या चार पुत्रवधु है। प्रार्थीगण ने मेहनत मजदूरी करके ताउम्र अपने जायन्दा सन्तानों एवं उनकी आल–औलाद के लालन–पालन कर सामाजिक जिम्मेदारी के साथ ही निकाह वगेरह करवाकर पृथक–पृथक रूप से खाने कमाने योग्य बना दिया था तथा सभी अप्राथीगण अपने–अपने पैरो पर खडे है और अपनी–अपनी आजीविका आराम से चला रहे है। तथा अप्रार्थीगण संख्या एक से चार सभी प्रार्थीगण की मालिकाना हक की सम्पति में जबरदस्ती निवास कर रहे है तथा प्रार्थीगण के साथ मारपीट कर उनको मालिकाना हक के घर से बाहर निकाल दिया है, जो वर्तमान में दर–दर की ठोकरें खा रहे है एवं वर्तमान में स्वयं का रहवासी मकान होते हुए भी अब दोनो को किराये के मकान में रहना पड़ रहा है। प्रार्थी संख्या एक स्वयं का मालिकाना हक का एवं स्वअर्जित आय से निर्मित सुदा एक रहवासी मकान नगरपालिका सोजते के आबादी क्षेत्र में मकान संख्या 234 जिसमें भाग अ है जिसके अडौस–पडौस व नाप उतर में इकबाल कुरेशी का मकान, दक्षिण में सुलेमान के हिससे में आया मकान भाग–ब, पूर्व में उस्मानजी के हिस्से में आया मकान भाग–स, पश्चिम में आम रास्ता व मकान का निकाल है। उपरोक्त मकान का कुल क्षेत्रफल 1072 वर्गफुट है। उपरोक्त मकान का एक पारिवारिक

उपखण्ड अधिकारी
सोजत

हकतर्कनामा भी अब्बास जी के अन्य पुत्रों ने प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया है। इसलिए कानूनन प्रार्थीगण ही उक्त मकान का एक मात्र मालिक है, जो हकतर्कनामा व सहमति पत्र प्रा0 पत्र के साथ सलंग्न है। उक्त पड़ौस का मकान का पटटा संख्या 323 जोधपुर गवन्मेंट के द्वारा 06 मई 1903 जो जारी किया था, तब भुखण्ड ही था। उसके पश्चात प्रार्थी सख्या 01 के द्वारा अपनी गाढी कमाई खर्च कर दो मंजिला मकान बनाया। ताकि प्रार्थीगण की वृद्धावस्था रहने हेतु तथा भरण–पोषण का जरिया बन सके। पिछले लाकडाउन की अवधि से अप्रार्थीगण सभी एक राय होकर प्रार्थीगण को तंग व परेशान करने लग गये तथा समय पर प्रार्थीगण को खाना भी नही देते है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उपरोक्त मकान से बाहर निकालने की धमकिया देने लगे तथा ऐलानिया कहने लगे कि ''घर में रहना है तो मकान का एक हिस्सा बेच दो, तथा उसके पैसे हमे दो। तथा अप्रार्थी संख्या दो ने ऐलानिया धमकिया दी कि घर से बाहर निकल जाओं, वरना आपको गैस व आग के हवाले कर अपने आपको जान से खत्म कर दूँगा, उक्त आरोप प्रार्थीगण के उपर लागाउँगी, जिसमें तीनों अप्रार्थीगण सहयोग करते थे। इस प्रकार से प्रार्थीगण का जीना हराम हो गया, तथा उसी वक्त अप्रार्थीगण के द्वारा अलग–अलग खरीददारों को लाकर मौके पर नाप–चौप करवाने लगे एवं मकान बताने लगे। जिस पर प्रार्थीगण ने उपरोक्त मकान को बेचाण, बख्शीश, रहन आदि करने सो साफ मना कर दिया तथा हाथाजोडी करके कि ''ये मेरे खून पसीने की कमाई से बना हुआ मकान है तथा रहने के लिए कोई दुसरी जगह नहीं है।'' जिस पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से द्वैषता रखते हुए उनकी सेवा–चाकरी करना बन्द कर दिया एवं पिछले करीब 7 माह से परेशान करते रहे तथा प्रार्थीगण के हिस्से की जमीन को बेचने हेतु पुराने दस्तावेज की नकलें निकालने का प्रयास करने लगे तथा परिवार के लोगो पर भी दबाव देने लगे। प्रार्थी संख्या एक के हस्ताक्षर करवाने के लिए अनैतिक अनूचित असम्यक असर का प्रयोग करते हुए अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बेवहज परेशान करने पर आमादा है व किसी न किसी बात से प्रार्थीगण को सभी अप्रार्थीगण शारीरिक व मानसिक रूप से हैरान व परेशान कर रहे है, जिनको काफी समझाया गया। लेकिन इसी प्रकार की हरकते लगातार करते आ रहे है। लाकडाउन में दो–तीन बार धक्के देकर प्राथीगण को घर से बाहर निकाल दिया, तब परिवार व अडौस–पडौस के लोगों की समझाईश से शान्त हुए। लेकिन अप्रार्थीगण का रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ दिनांक 01.11.2020 को तमाम अप्रार्थीगण ने नाजायज मजमा खिलाफ कानून बनाकर हर दोनो प्रार्थीगण को धक्के देकर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया तथा हर अप्रार्थीगण मोहम्मद शरीफ व रमजान की उनकी बीवियों के सामने नहीं चलती है तथा खडे–खडे अपने माता–पिता के साथ हो रहे अपमान को देखते रहते है, तथा प्रार्थीगण घर के बाहर ही बैठे–बैठे रोते बिलखते रहे एवं अप्रार्थीगण तमाम ने घर का अन्दर से दरवाजा बन्द कर लिया, उस समय भी रिश्तेदार लोग आये, लेकिन अप्रार्थीगण नही माने। तब प्रार्थीगण ने काफी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अप्रार्थी संख्या दो रसीदा बानो प्रार्थीगण को गालियॉ बोलती रही तथा ऐलानिया धमकिया दी कि अगर हमारे कहे अनुसार मकान का एक हिस्सा नही बेचते हो तो इस घर में रहने की कोई जरूरत नही है। इसलिए चुपचाप यहा से चले जाओ, यह घर

उपखण्ड अधिकारी
मोजत

अब हम अप्रार्थीगण का है। यहाँ से चले जाओ, वरना घर में आग लगाकर अपने आपको खत्म कर दूँगी। जिस पर अप्रार्थीगण रोते–बिलखते समाज के लोगो के द्वारा प्रार्थीगण के लिये हाथा जोड़ी कर एक किराये का मकान दिलवाया, चूँकि प्रार्थीगण दोनो वृद्ध है, इस उम्र में कमाया नही जा सकता है, इसलिए वर्तमान में प्राथ्रीगण को किराया जमा करवाने हेतु भी दर–दर की ठोकरे खानी पड़ती है, जब भी अप्रार्थीगण अपने मकान पर अपने पुत्रों अप्रार्थीगण के पास जाते है तो अप्राथीगण तमाम एक राय होकर गाली–गलोच करते है, मकान का दरवाजा बन्द कर देते है। इस प्रकार से प्रार्थीगण के खाने–पीने के लाले पड़ गये एवं अपने स्वयं की गाढी कमाई से बनाये हुए मकान से भी बाहर निकाल दिया तथा अप्रार्थीगण जान–बूझकर प्रार्थीगण का भरण–पोषण भी नहीं करते है। जबकि हर दोनो अप्रार्थीगण पत्थर गड़ाई का अच्छा कार्य करते है तथा प्रतिदिन 1000/– रूपये मजदूरी से अप्रार्थीगण मोहम्मद शरीफ व रमजान मासिक 60,000/– रूपये आसानी से कमा लेते है। उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण अपनी दोनों बीबियों की सिखावट में आकर प्रार्थीगण का भरण–पोषण नहीं करते है जिससे प्रार्थीगण का जीवन नरक बन चुका है। प्रार्थीगण के मालिकाना हक के मकान में अप्रार्थीगण जोर–जबरदस्ती निवास कर रहे है, जिनको बाहर निकाला जाना कानूनन आवश्यक है। प्रार्थीगण ने उक्त बात समाज के मौजिज लोगो को बतायी तो उन्होने न्यायालय हाजा के समक्ष परिवाद पेश करने की सलाह दी, जिस पर प्रार्थीगण जो अपने मकान के दस्तावेज व अन्य कागजात अपने परिचित के यहां इसी भय से रखे है कि कभी भी अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को डरा धमकाकर उनसे लेकर कोई भी दुरूपयोग कर मकान बेचाण, हस्तान्तरण नहीं कर दे। वहां से दस्तावेजो की थेली लेकर प्रार्थीगण अपने अधिवक्ता के जरिए न्यायालय हाजा में यह परिवाद पेश किया है। प्रार्थीगण के पास निवास के लिए अन्य कोई सम्पति नहीं है, एवं स्वतंत्र रूप से निवास का अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण का उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान अप्रार्थीगण के द्वारा अवैध रूप से कब्जा लिया गया है, जिसको पुनः प्रार्थीगण को सुपुर्द करवाया जाना कानूनन आवश्यक है तथा माता–पिता का सम्मान भी अति आवश्यक है, तथा भरण–पोषण की राशि भी दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार को इस आशय से पाबन्द किये जावे कि भविष्य में वो इस प्रकारन की घटना की पुनः नहीं करे। इस प्रकार प्रार्थीगण ने प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण संख्या एक से चार से उसके मालिकाना हक की एवं स्वअर्जित कमाई से निर्मित सुदा मकान का कब्जा पुनः प्रार्थी संख्या एक को अप्रार्थीगण से दिलाया जावे। अप्रार्थीगण संख्या एक से चार को पाबन्द किया जावे कि वे भविष्य में ऐसे विधि–विरुद्ध कृत्य की पुनारावृति नहीं करे एवं प्रार्थीगण की जान–माल की सुरक्षा के लिए उचित आदेश प्रदान करावे। प्रार्थीगण को अपने भरण–पोषण, खाना–खुराक, कपड़े एवं चिकित्सा हेतु अप्रार्थीगण तमाम से कुल 10,000/– प्रतिमाह दिलाये तथा इस कार्यवाही में लगने वाले हर्जे–खर्चे के रूप में रूपये 5000/– एवं मानसिक रूप से हुई परेशानी के लिए अप्रार्थीगण संख्या एक से चार से हर्जाना दिलाये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0

पत्र तलब किया गया। दिनांक 16.02.2021 को अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 तथा दिनांक 24.02.2021 को अप्रार्थीगण सांख्या 01 व 2 स्वयं उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण द्वारा जवाब पेश करना नहीं चाहने से जबाब दिनांक 23.03.2021बन्द किया गया।

उपस्थित प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों के परिपेक्ष्य में सुना गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों पर गौर कर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 को आंशिक स्वीकार योग्य पाया जाता है। लिहाजा आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा प्रत्येक अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को 5000/–प्रतिमाह भरण–पोषण, भोजन चिकित्सा दवाईयां, कपडे आदि के उपयोग उपभोग हेतु दिलवाये जाने के आदेश दिया जाना न्यायोचित समझते है।

–:आदेश:–

अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 23, अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिको का भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 के तहत आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण प्रत्येक को प्रतिमाह भोजन, चिकित्सा, दवाईयां, कपड़े आदि की व्यवस्था अर्थात् भरण–पोषण के रूप में 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) प्रार्थीगण भुगतान/प्रदत किए जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया जाता हैं कि अप्रार्थीगण से उक्त भरण पोषण राशि प्रतिमाह प्रार्थीगण को (अप्रार्थी संख्या 02 के बैंक खाता संलग्न पास बुक प्रति) में जमा/दिलाई जाकर/स्टाम्पस रसीद प्राप्त की जाकर पालना न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाया पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, सोजत